**फर्द अहकाम**

## अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

घासीलाल बनाम शिम्भू वगै०

किस्म मुकदमा दावा मु0नं0 111/22

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 5.4.23 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हुए। पत्रावली में न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पत्रांक मू0अ0/2023/150 दिनांक 31.01.2023 द्वारा पेश किए जा चुके है। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस कुर्रेजात प्रस्ताव सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव सही होना जाहिर किया तथा अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रेजात प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से कुर्रेजात प्रस्ताव सही होना जाहिर होता है इसलिए तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।<br>अतः वाके रामा जोध्या तह0 बहराण्डा जिला दौसा की पत्रावली में प्रश्नगत भूमि के तकास्मा हेतु तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा उक्त पत्रांक द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार कर दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार है–1. खसरा नम्बर 76, 80, 81, 82, एवं 84 कुल किता 5 रकबा 0.27है0 में केसन्ती पत्नि मल्लाराम हि0 1/5 जाति मीना घासीलाल पुत्र | |

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)

मांग्या हि0 1/2 जाति खाती, प्रभु पुत्र काना हि0 1/20 जाति खाती, शम्भू पुत्र गंगाधर हि0 1/4 जाति खाती सा0 देह खातेदार तथा खसरा नंबर 119/1, 83/1एवं 120 कुल किता 3 कुल रकबा 1.74 है0 में रामकला पत्नि मोहरीलाल हि0 सम्पूर्ण जाति मीना सा0 देह खातेदार राहिन हि0 111/174 यू0बी0ओ0 आई0 शाखा बहरावण्डा तथा खसरा नंबर 95/1 रकबा 0.28 है0 में अनोखी पत्नि सुरेशचनद हि0 सम्पूर्ण जाति खाती सा0 देह खातेदार तथा खसरा नम्बर 119/3 रकबा 0.19 है0 में मल्लाराम पत्रु घीस्याराम हि0 सम्पूर्ण जाती मीना सा0 देह खातेदार तथा खसरा नम्बर 75/2 एवं 74 कुल किता 02 कुल रकबा 0.07 है0 में प्रभू पुत्र काना हि0 सम्पूर्ण जाति खाती सा0 देह खातेदार तथा ख0न0 75/1 एवं 119/2 कुल किता 02 कुल रकबा 0.40 है0 में केसन्ति पत्नि मल्लाराम हि0 सम्पूर्ण जाति मीना सा0 देह खातेदार तथा ख0न0 79, 122, 83/2, 95/2, 119/4, 94, 75/3 कुल किता 07 कुल रकबा 1.86 है0 मे घासीलाल पुत्र मांग्या हि0 सम्पूर्ण जाति खाती सा0 देह खातेदार होंगे। कुर्रेजात प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार बहरावण्डा को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर इस न्यायालय की मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)